

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर
(नजारत अनुभाग)

सूचना

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए जनपद न्यायालय, बलरामपुर के पुराना न्यायालय परिसर में कैन्टीन की खुली नीलामी दिनांक: 29.03.2022 समय 04 बजे सांय नवीन न्यायालय परिसर के मीटिंग हाल में की जानी है। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आवेदन 26.03.2022 तक सांय 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जजी बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में खुली नीलामी हेतु बायलॉज संलग्न कर दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-256/78-2-2018-42आई0टी0/2017टी0सी0 के अन्तर्गत वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुरूप रु 1,00,000/- से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करने की निविदाओं के लिये सीमा बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये कर दिया गया। कैन्टीन के लिये बुक मूल्य 95,800/- दर्शित हो रहा है।

अतः ई-टेण्डरिंग पोर्टल खुली नीलामी नोटिस डाले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनसाधारण की सूचना हेतु उपरोक्त नोटिस <http://www.allahabadhighcourt.in/> तथा <https://districts.ecourts.gov.in/balrampur> पर विस्तृत जानकारी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त अपलोड कर दिया जायेगा।

जनसाधारण की सूचना हेतु संलग्नक नोटिस दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रेषित कर दिये जायेंगे।

आदेश की प्रतिलिपि निम्न सूचना पटों पर चस्पा कराया जाए :-

1. जनपद न्यायालय, बलरामपुर,
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर, तहसील, बलरामपुर,
3. लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड), बलरामपुर,
4. रोडवेज बस स्टेशन, बलरामपुर,
5. रेलवे स्टेशन (झारखण्डी), बलरामपुर,
6. विकास भवन, बलरामपुर के सूचना पटों पर चस्पा किया जाए।
7. जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशन हेतु।
8. सिस्टम ऑफिसर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय बलरामपुर की बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

दिनांक-11.03.2022

Yashasvi Singh
सदस्य, 11/3/22

नीलामी समिति/
प्रभारी मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट बलरामपुर

Abhinav Singh
सदस्य, 11/03/2022

नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश
(रिप/पोक्सो एक्ट)-द्वितीय
बलरामपुर।

[Signature]
अध्यक्ष, 11/3/22

नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र
न्यायाधीश-प्रथम
बलरामपुर।

Approved.

Abhinav Singh
14/03/2022

जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

पुराना न्यायालय परिसर में कैंटीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए नियम व शर्तें:-

- 1- यह कैंटीन की नीलामी दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के लिए वैध होगी, जिसके लिए नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आवेदन 26.03.2022 तक सांय 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जजी बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।
- 2- कैंटीन का ठेका की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 29.03.2022 को सांय 04 बजे नवीन न्यायालय परिसर, बलरामपुर स्थित सभागार में सम्पादित होगी।
- 3- सम्बन्धित कैंटीन का ठेका की पिछले वर्ष हेतु स्वीकृत धनराशि ही कैंटीन की इस वर्ष नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि होगी।
- 4- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 5- नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में न्यायालय परिसर में कैंटीन का ठेका आवंटित किया गया था, उससे सम्बन्धित कोई भी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 6- ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रूपये 10000/- (दस हजार) की धनराशि जमा करनी होगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं आवंटित होता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
- 7- नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को होगा।
- 8- माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी दशा में कैंटीन का ठेका की नीलामी राशि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की नीलामी राशि की तुलना में कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 9- जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा।
- 10- आवंटी को ठेके की राशि का भुगतान निम्न रूप से करना होगा :-
(क) 10000/- नीलामी के पूर्व (जमानत धनराशि के रूप में)
(ख) कुल राशि के अवशेष का 10 प्रतिशत आवंटन के समय,
(ग) कुल राशि के अवशेष का 25 प्रतिशत दिनांक 30.06.2022 तक,
(घ) कुल राशि के अवशेष का 25 प्रतिशत दिनांक 30.09.2022 तक,
(च) कुल राशि के अवशेष का 25 प्रतिशत दिनांक 31.12.2022 तक,
(छ) संपूर्ण अवशेष धनराशि दिनांक 28.02.2023 तक
- 11- आवंटी किसी भी दशा में उसे आवंटित कैंटीन का ठेका को किसी अन्य को न ही स्थानान्तरित कर सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे सकता है।
- 12- आवंटी अपने ठेके में उन्हीं वस्तुओं की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी आवंटी को अपने हॉकर द्वारा न्यायालय परिसर में घूम-घूम कर सामानों की बिक्री कराये जाने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
- 13- आवंटी को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपनी ठेकों को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। यदि आवंटी किसी सहायक को रखकर अपना काम कराता है तो उसका आधार कार्ड की छायाप्रति पहचान पत्र के तौर पर जमा करेगा।
- 14- वर्ष 2022-2023 के लिए आवंटित ठेकों का आवंटन दिनांक 31.03.2023 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्तकर्ता प्रत्येक आवंट द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण कार्य आवश्यक

Yashaswi Singh 11.3.22

Shri Hanu Upadhyay 11.3.22

11/3/22

हो तो जिला न्यायाधीश महोदय से पूर्व अनुमति लेकर ही करेगा जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा एवं उसे वह दिनांक 31.03.2023 तक आवंटित अवधि के पश्चात् उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। यदि आवंटियों द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आवंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके ठेके का आवंटन माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

15- आवंटी द्वारा सरकार/नगर निगम/अन्य स्थानीय निकायों को देय किसी भी कर/फीस/व्यय का भार स्वयं वहन किया जाएगा। इस हेतु न्यायिक प्रतिष्ठान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16- ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, बलरामपुर होगा।

उपरोक्त शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

दिनांक:11.03.2022

Yashaswi Singh
11.3.22

(यशस्वी सिंह)

सदस्य, नीलामी समिति/
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बलरामपुर।

Abhinav Upadhyay
11.03.2022

(अभिनितम उपाध्याय)

सदस्य, नीलामी समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (रेप व
पोक्सो एक्ट)- द्वितीय,
बलरामपुर।

Vipin Kumar-I
11/3/22

(विपिन कुमार-I)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र
न्यायाधीश-प्रथम, बलरामपुर।

Approved.
N. B. Talwar
14/03/2022